इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2020—श्रावण 16, शक 1942

विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2020

फा. क्र. 10-क-चार-निरर्हित-2020-48.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्र 76-MP-HP-2019-WS-I, दिनांक 5 अगस्त 2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किए जाना है.

अरुण कुमार तोमर, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

सं. 76-म.प्र.-लो.स.-2019-पश्चिम-I

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2020—14 श्रावण, 1942 (शक)

आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10.03.2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23.05.2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 04-गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23.05.2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22.06.2019 थी।

और यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश के दिनांक 26.06.2019 के पत्र सं. 10-क/लो.स.2019/चार/निर्वा.व्यय/गुना/13607 द्वारा अग्रेषित जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 22.06.2019 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री धाकड़ लोकेन्द्र सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के 04-गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुर जिला, मध्य प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री धाकड़ लोकेन्द्र सिंह राजपूत को कारण बताओ नोटिस दिनांक 18.07.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 18.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री धाकड़ सिंह राजपूत को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर आयोग में लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, अपने पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री धाकड़ सिंह राजपूत द्वारा 08.08.2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी द्वारा दिनांक 29.11.2019 के पत्र संख्या सा निर्वा/व्यय लेखा /2019/142 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, शिवपुरी द्वारा अपने दिनांक 19.02.2020 के पत्र सं. सा निर्वा/व्यय/ लेखा /2020/38 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री धाकड़ लोकेन्द्र सिंह राजपूत ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही मूल वाउचरों आदि के साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अपने निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री धाकड़ लोकेन्द्र सिंह राजपूत निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करन में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में मध्य प्रदेश राज्य के 04-गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के अभ्यर्थी, श्री धाकड़ लोकेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी ए-9/14,बसंत विहार, इंदौर मार्ग, उज्जैन, मध्य प्रदेश-456010, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
हस्ता./-
(सुमन कुमार दास)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

No. 76-MP-HP-2019-WS-I

New Delhi, Dated 5th August 2020— 14, Shravana 1942 (Saka)

ORDER

WHEREAS, the General Election to the Lok Sabha in the state of Madhya Pradesh, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/23/2019 dated 10.03.2019. As per the schedule, the Date of Counting was 23.05.2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951. every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of 04-Guna Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer concerned on 23.05.2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22.06.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 22.06.2019 submitted by the District Election Officer, Shivpuri District, Madhya Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh vide letter No.10-A/Lok Sabha 2019/Four/Elec.Expenses/Guna/13607 dated 26.06.2019, Shri Dhakad Lokendra Singh Rajpoot, Bahujan Samaj Party contesting candidate from 04-Guna Parliamentary Constituency of Madhya Pradesh, failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Shivpuri District, Madhya Pradesh and the Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh, a Show Cause notice dated 18.07.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Dhakad Lokendra Singh Rajpoot for non submission of accounts of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 18.07.2019, Shri Dhakad Lokendra Singh Rajpoot was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his complete accounts of election expenses to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Dhakad Lokendra Singh Rajpoot on 08.08.2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Shivpuri vide his letter No.Gen. Elec./2019/1942 dated 29.11.2019 .

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Shivpuri vide his letter No. Gen. Elec./Expenditure/Account/ 2020/38 dated 19.02.2020 it has been stated that Shri Dhakad Lokendra Singh Rajpoot has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that Shri Dhakad Lokendra Singh Rajpoot has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order;

NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Dhakad Lokendra Singh Rajpoot resident of A-9/14, Basant Vihar, Indore Marg, Ujjain(M.P.) 456010, the contesting candidate of Bahujan Samaj Party for the General Election to the Lok Sabha in the state of Madhya Pradesh from 04-Guna Parliamentary Constituency to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd./-

(SUMAN KUMAR DAS)

Secretary,

Election Commission of India.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.